

बाह्य अंतरिक्ष हेतु एक नई संधिका आह्वान

प्रलिस के लयः

[संयुक्त राषट्र](#), बाह्य अंतरिक्ष, [बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967](#)

मेन्स के लयः

बाह्य अंतरिक्ष हेतु एक नई संधिका आह्वान

चर्चा में क्यों?

[संयुक्त राषट्र](#) (UN) ने हाल ही में "फॉर ऑल ह्यूमैनिटी- द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस" शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है, जिसमें शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिये एक नई संधिकी सफारशि की गई है।

- यह सफारशि सतिबर 2024 में न्यूयॉर्क में होने वाले UN समटि ऑफ द फ्यूचर से पहले की गई है। शखिर सम्मेलन का उद्देश्य बहुपक्षीय समाधानों को सुवधाजनक बनाना और भवषिय की चुनौतियों का समाधान करने के लिये वैश्विक शासन को मजबूत करना है।

प्रमुख बडु

- उपग्रह प्रक्षेपण में वृद्धि:**
 - पछिले दशक में उपग्रह प्रक्षेपणों में तेजी से वृद्धि हुई है, जो सरकार और नजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से प्रेरति है।
 - वर्ष 2013 में 210 नए उपग्रह लॉन्च हुए, जिनकी संख्या वर्ष 2019 में बढ़कर 600 और वर्ष 2020 में 1,200 तथा वर्ष 2022 में 2,470 हो गई।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और जापान जैसे देश अंतरिक्ष गतिविधियों में अग्रणी हैं, जिनमें मानव मशिन, चंद्र अन्वेषण तथा संसाधन दोहन शामिल हैं।
 - [राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन \(NASA\)](#) अपने [आर्टेमिस मशिन](#) के माध्यम से प्रथम महिला और द्वितीय पुरुष को चंद्रमा पर उतारने की योजना बना रहा है।
 - चंद्रमा पर खनजि (हीलियम 3 का समृद्ध भंडार है, जो पृथ्वी पर दुर्लभ है), कषुद्रग्रह (प्लैटनिम, निकल और कोबाल्ट सहति मूल्यवान धातुओं का प्रचुर भंडार) और ग्रह के लिये आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय ढाँचे का अभाव:**
 - अंतरिक्ष संसाधन अन्वेषण, दोहन और उपयोग पर एक सहमत अंतरराष्ट्रीय ढाँचे का अभाव है।
 - पर्यावरण प्रदूषण के लिये क्षेत्राधिकार, नयितरण, दायतिव और ज़मिमेदारी के मुद्दों को संबोधति करते हुए अंतरिक्ष संसाधन गतिविधियों के कार्यान्वयन के समर्थन हेतु संक्षिप्त नीति के निर्माण पर बल देता है।
- समन्वय और अंतरिक्ष यातायात परबंधन:**
 - वर्तमान में अंतरिक्ष यातायात का समन्वय का अभाव है जिसमें वभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाएँ अलग-अलग मानकों और प्रथाओं को नयोजति करती हैं।
 - समन्वय की कमी सीमति अंतरिक्ष क्षमता वाले देशों के लिये चुनौतियों पेश करती है।
- अंतरिक्ष मलबा और पर्यावरण संबंधी चतिाएँ:**
 - अंतरिक्ष मलबा के प्रसार को एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे के रूप में रेखांकति कयिा जाता है जिसमें हज़ारों वस्तुएँ अंतरिक्ष में संचालति यानों के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।
 - संयुक्त राषट्र अंतरिक्ष मलबा के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के लयिक्षेत्राधिकार, नयितरण, उत्तरदायतिव और ज़मिमेदारी से संबंधति कानून की मांग करता है। अंतरिक्ष से मलबा हटाने की तकनीक वकिसति की जा रही है लेकनि कानूनी पहलुओं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।

सफारशें:

- **शांति और सुरक्षा के लिये नई संधि:**
 - संयुक्त राष्ट्र ने शांति, सुरक्षा तथा बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को प्रतिबंधित करने के लिये संवाद और एक नई संधि के विकास की सफारिश की है।
 - यह संधि उभरते खतरों को दूर करने और उत्तरदायी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अंतरराष्ट्रीय मानदंड, नयिम और सदिधांत की स्थापना करेगी।
- **समन्वय अंतरिक्ष स्थितिजिनय जागरूकता:**
 - सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे अंतरिक्ष स्थितिजिनय जागरूकता और अंतरिक्ष घटनाओं के समन्वय के लिये एक प्रभावी ढाँचे की स्थापना करें। यह समन्वय अंतरिक्ष संचालन की सुरक्षा और संरक्षा में वृद्धि करेगा।
- **अंतरिक्ष मलबे को हटाने हेतु रूपरेखा:**
 - संयुक्त राष्ट्र ने वैज्ञानिक और पहलुओं पर विचार करते हुए अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिये मानदंडों एवं सदिधांतों के विकास की मांग की है।
 - इसके तहत विशेष रूप से चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर अंतरिक्ष संसाधनों के सतत अन्वेषण, दोहन एवं उपयोग के लिये एक प्रभावी रूपरेखा की सफारिश की गई है।

बाह्य अंतरिक्ष:

- **परिचय:**
 - बाह्य अंतरिक्ष, जिसे अंतरिक्ष अथवा आकाशीय अंतरिक्ष के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल से परे और आकाशीय पिंडों के बीच विशाल वसतिार को संदर्भित करता है। यह एक नरिवात है जो पृथ्वी के वायुमंडल से परे मौजूद है तथा पूरे ब्रह्मांड में अनश्चित काल तक के लिये फैला हुआ है। बेहद कम घनत्व और दबाव के साथ-साथ वायु एवं अन्य वायुमंडलीय तत्वों की अनुपस्थिति बाह्य अंतरिक्ष की विशेषता है।
- **संयुक्त राष्ट्र संधियाँ:**
 - इन संधियों को आमतौर पर "बाह्य अंतरिक्ष पर पाँच संयुक्त राष्ट्र संधियाँ" के रूप में संदर्भित किया जाता है:
 - **बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967:** चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सदिधांतों पर संधि।
 - **बचाव समझौता 1968:** अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की वापसी पर समझौता।
 - **दायित्व अभिसमय 1972:** अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाली क्षति हेतु अन्तरराष्ट्रीय उत्तरदायित्व पर अभिसमय।
 - **पंजीकरण अभिसमय 1976:** बाह्य अंतरिक्ष में लॉन्च की गई वस्तुओं के पंजीकरण पर अभिसमय।
 - **द मून एग्रीमेंट 1979:** चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला समझौता।
 - भारत इन सभी पाँच संधियों का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन उसने केवल चार का अनुसमर्थन किया है। भारत ने मून एग्रीमेंट की पुष्टि नहीं की है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कानून सभी देशों को उनके क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र पर पूरण और अनन्य संप्रभुता प्रदान करते हैं। 'हवाई क्षेत्र' से आप क्या समझते हैं? इस हवाई क्षेत्र के ऊपर अंतरिक्ष पर इन कानूनों के क्या प्रभाव हैं? इससे उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और खतरे को नियंत्रित करने के उपाय सुझाइये। (मुख्य परीक्षा, 2014)

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)